

**OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, HoFF,
RAJASTHAN, JAIPUR**

F 14 () /2015/FCA/PCCF/CCFEDS -I Jaipur Dated 16.5.2018

KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA के द्वारा कोटा जिले के वनमण्डल कोटा प्रादेशिक के ग्राम अणतपुरा एवं उम्मेदगंज में **LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI SAMITI** के निर्माण कार्य हेतु 74.00 हेक्टर वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Others/20036/2016 पर दिनांक 29.6.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट I, II एवं III की पूर्ती उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-1 (vi) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण 0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 है० क्षेत्र गैर वन भूमि में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अंकित किया गया है। उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B2.4 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न कम्पोजिटवाइज क्षेत्र में 38 है० वन भूमि बिल्डिंग कार्य हेतु ली गई है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइडलाइन के अनुरूप (1 है० से अधिक क्षेत्र में बिल्डिंग हेतु) नहीं है। इसके अतिरिक्त संलग्न किये गये एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट से मिलान नहीं करते हैं।
3. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b(ii) में संलग्न kml file एवं DGPS map एक दूसरे से मिलान नहीं करते हैं। संशोधित KML file & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 74 है० के प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्ताव की औचित्यता दर्शायी गई है जबकि वर्तमान में प्रस्ताव 96 है० का है।
5. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है किन्तु उसका विवरण हार्ड प्रति में संलग्न नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया है।
7. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में 74 है० का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अतः संशोधित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया गया है जो दो ग्रामों में आबंटन किया गया है। अतः सेंगमेंट अनुसार KML file & Corrected GT Sheet संलग्न की जानी प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 है० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
9. यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया बार चार्ट सही नहीं है इसे कम्पोजिट अनुसार बनाया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
10. उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में अंकन नहीं किया गया है।
11. उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नहीं की गई है।
12. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या में 22 है० क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अवगत कराया गया है। जिसके बारे में उनके स्तर पर की गई कार्यवाही, दोषी लोकसेवको के नाम आदि सहित विस्तृत टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है।

13. उप वन संरक्षक द्वारा उक्त भूमि एन0एच0 76 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अंतर्गत जारी शर्त जिसमें एन0एच0 76 के 1 कि0मी0 की परिधि में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वन भूमि ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरांत ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
14. मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
15. यूजर ऐजेन्सी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में फ्लूड लगाया जाकर हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये हैं जो उचित नहीं हैं। प्रस्ताव में एक प्रति में मूल दस्तावेज एवं तीन प्रति अतिरिक्त जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति में ऑनलाईन प्रस्ताव के सभी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

D.K.G.
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR